



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-04052026-271917
CG-TL-E-04052026-271917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1878]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18, 2026/चैत्र 28, 1948

No. 1878]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18, 2026/CHAITRA 28, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1948(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, तेलंगाना राज्य के जनगांव जिले में रघुनाथपल्ली – इप्पुगुडा स्टेशनों के मध्य कि.मी. 289/8-10 पर स्थित समपार संख्या 44 के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण, अर्थात् एक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, जनगांव को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, जनगांव, आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और

सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: तेलंगाना राज्य के जनगांव जिले में रघुनाथपल्ली – इप्पुगुडा स्टेशनों के मध्य कि.मी. 289/8-10 पर स्थित समपार संख्या 44 के स्थान पर सड़क उपरि पुल के निर्माण

क्रम सं.	सर्वे सं.	सेठवार के अनुसार		भूभारती पोर्टल के अनुसार			
		पट्टेदार कानाम	क्षेत्रफल (एकड़ – गुंटा)	सर्वे सं.	पट्टेदार का नाम	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (एकड़ – गुंटा)
1	248	भुटम्मा पटवली	6-16	248/A/७	समुद्राला अंडालु	पट्टा	1.00
				248/७	समुद्राला वेंकटगंगाधर राव	पट्टा	1.25
				248/७	समुद्राला श्रीनिवास राव	पट्टा	1.00
				248/३	याडा रामुलु	पट्टा	0.13
				248/७३/1/1/1/1	वेयुगंडला रमेश	पट्टा	0.24
				248/७३/1/1/1/2	दोमला प्रभाकर	पट्टा	0.02
				248/७३/1/1/2	दोमला प्रभाकर	पट्टा	0.1080
				248/७३/1/2/1/1	दोमला प्रभाकर	पट्टा	0.0220
				248/७३/1/2/1/2	दोमला प्रभाकर	पट्टा	0.18
				248/७३/1/2/2	दोमला प्रभाकर	पट्टा	0.05
				248/७३/2/1	वड्डी प्रभाकर रेड्डी	पट्टा	0.30
				248/७३/2/2	वड्डी प्रभाकर रेड्डी	पट्टा	0.10
				248/६	दुब्बाका रवि	पट्टा	0.20
2	315	थम्मला रामय्या	1-14	315/3	एंडोमेंट	अन्य	1.00
				315/1	एंडोमेंट	एंडोमेंट भूमि (मंदिर के अधीन क्षेत्रफल)	0.14
3	316	रामशिंगुलु	0-16	316	परिलक्षित नहीं है		
4	317	थम्मला रामय्या	0.26	317	परिलक्षित नहीं है		

5	318	थम्मला रामय्या	1-11	318	परिलक्षित नहीं है
---	-----	-------------------	------	-----	-------------------

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.44/SC-KZJ/SC]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 13th April, 2026

S.O. 1948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project namely, “Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 44 at Km 289/8-10 in between Raghunathpalli - Ippuguda stations” in Jangaon District in the State of Telangana, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Jangaon in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Jangaon shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority(CALA).

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 44 at Km 289/8-10 in between Raghunathpalli - Ippuguda stations in Jangaon District in the State of Telangana

S. No.	SY. No.	As Per Sethwar		As per Bhubhararti Portal			
		Name of Pattedhar	Extent (Ac-Gts)	Sy Nos	Name of Pattedhar	Land Nature	Extent (Ac-Gts)
1	248	Bhuamma Patwali	6-16	248/A/९	Samudrala Andalu	Patta	1.00
				248/९	Samudral Venkata gangdhar Rao	Patta	1.25

				248/९	Samudrala Srinivas Rao	Patta	1.00
				248/३	Yaada Ramulu	Patta	0.13
				248/९/1/1/1/1	Veyugandla Ramesh	Patta	0.24
				248/९/1/1/1/2	Domala Prabhakar	Patta	0.02
				248/९/1/1/2	Domala Prabhakar	Patta	0.1080
				248/९/1/2/1/1	Domala Prabhakar	Patta	0.0220
				248/९/1/2/1/2	Domala Prabhakar	Patta	0.18
				248/९/1/2/2	Domala Prabhakar	Patta	0.05
				248/९/2/1	Vaddi Prabhakar Reddy	Patta	0.30
				248/९/2/2	Vaddi Prabhakar Reddy	Patta	0.10
				248/९	Dubbaka Ravi	Patta	0.20
2	315	Thammala Ramaiah	1-14	315/3	Endowment	Others	1.00
				315/1	Endowment	Endowment Land(Area Under Temple)	0.14
3	316	Ramshingulu	0-16	316	NOT REFLECTING		
4	317	Thammala Ramaiah	0.26	317	NOT REFLECTING		
5	318	Thammala Ramaiah	1-11	318	NOT REFLECTING		

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.44/SC-KZJ/SC]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP